

समाज कल्याण विभाग  
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,  
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02

अतारंकित प्रश्न संख्या:- 235

दिनांक: - 09.08.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्न	उत्तर
(क) गत विधानसभा की बैठक के उपरान्त वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों पेंशन धारकों के हित में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पेंशन PFMS के माध्यम से बैंक द्वारा सत्यापित (वैरिफाइड) खातों में प्रेषित की जा रही हैं।</li> <li>• जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु 55 कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया जिससे कि आवेदनों का सत्यापन शीघ्रतापूर्ण किया जा सके।</li> <li>• जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जा रही है उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाए जा रहे हैं एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित की जा रही है।</li> <li>• विभाग समय-समय पर समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा प्रचार कैंप आदि लगवाकर Pamphlet/Poster आदि द्वारा लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की हिदायत दे रहा है।</li> <li>• प्रत्येक जिला समाज कल्याण कार्यालयों में लिखित रूप से यह सूचना दर्शायी गई है कि सभी लाभार्थी अपने बैंक खातों को सजिडकी हेतु आधार से लिंक कराएं।</li> <li>• नए ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति एवं पेमेंट की स्थिति संबंधी जानकारी समय-समय पर क्षेत्रीय विधायकों को भी दी जा रही है।</li> <li>• लाभार्थियों की पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु सभी जिला कार्यालयों एवं मुख्यालय में ज्ञान संपर्क सिडकी की व्यवस्था है।</li> </ul>

Dr. MAHESH SHARMA  
Dy. Director (FAS)  
Dept. of Social Welfare  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate  
New Delhi - 110002

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों जैसे- आरटीआई, पीजीएमएस, ईमेल, वीआईपी रेफरेंसेस इत्यादि से प्राप्त पेंशन संबंधी शिकायतों/समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान कर दिया जाता है।</li> <li>• आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्रो परिषद् ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है।</li> </ul>
(ख)	क्या यह सत्य है कि सरकार ने पेंशन की शिकायतों के समाधान के लिए कॉल सेन्टर खोलने का ऐलान किया था;	जी हां।
(ग)	यदि हाँ तो क्या ऐसा काल सेंटर खोल कर उसका नम्बर जारी कर दिया है;	जी हां।
(घ)	क्या पेंशन धारकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए स्टाफ संख्या में वृद्धि की गई है;	जी हां।
(ङ)	यदि हाँ तो इसकी जानकारी दें ?	पेंशन धारकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए स्टाफ संख्या में वृद्धि की गई है जिसका ब्यौरा संलग्न है-

  
 6-8-17  
**Dr. MAHESH SHARMA**  
 Dy. Director (FAS)  
 Deptt. of Social Welfare  
 Govt. of N.C.T. of Delhi  
 G.L.N.S. Complex, Delhi Gate  
 New Delhi-110002

Additional Staff deployed after the meeting of last Vidhan Sabha Session.

Name of Office	Welfare Officer	Sr.Asstt.	Jr. Asstt.	Data Entry Operator
FAS branch/HQ	03	02	01	04
North District	-	01	-	02
North East District	-	01	-	04
North West-I District	-	-	-	02
North West-II District	-	-	-	02
East District	-	01	-	02
West District	01	-	-	02
South District	-	-	-	01
South West District	01	-	-	02
Central District	-	01	-	03
New Delhi District	01	01	-	01

Q.11